छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 16.1.18

क्रमांक एफ 10–16/2017/16 :– राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, असंगठित कर्मकारों के लिये निम्नानुसार योजना बनाता है:–

(क) योजना का नाम एवं विस्तार :–

I. योजना का नाम **"सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना"** होगा।

II. छत्तीसगढ़ राज्य के वे असंगठित श्रमिक तथा उनके परिवारजन जिनमें सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि हुई हो इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु पात्र होंगे।

III. इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा उनके अधीन आने वाले श्रमिक प्रवर्गो को दिया जावेगा।

IV. यह योजना सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता के रूप में होगी तथा सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अथवा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत् मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी।

V. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी।

(ख) योजना हेतु पात्रता :–

I. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा उनके अधीन आने वाले श्रमिक प्रवर्गो को इस योजना का लाभ दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त वे श्रमिक जो स्वयं के संगठित क्षेत्र के कारखाने में कार्यरत होने का दावा करते हो, परंतु उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जांच में उनके संगठित क्षेत्र के कारखाने में कार्य करने के प्रमाण नहीं मिले हों या जो निर्माण श्रमिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकरण के पात्र न हो को भी छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के ठेका श्रमिक प्रवर्ग में पंजीयन कर योजना का लाभ दिया जावेगा।

II. इस योजना के लाभ हेतु सक्षम चिकित्सक यथा शासकीय मेडिकल कॉलेज अथवा जिला अस्पतालों में कार्यरत चेस्ट एवं टी.बी. विशेषज्ञ चिकित्सक/पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर की व्यवसायजन्य रोग निदान समिति/कर्मचारी राज्य बीमा सेवाऐं के बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (प्रमाणक शल्यज्ञ)/उप संचालक (चिकित्सा) अथवा सहायक संचालक (चिकित्सा) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (श्रम विभाग) उक्त में कोई एक द्वारा श्रमिक में सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा।

(ग) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

I. आवेदक/आवेदिका द्वारा स्वयं अथवा पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में श्रमिक के आश्रित द्वारा जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, के

....2.....

कार्यालय में आवेदन जमा किये जा सकेंगे। उक्त आवेदनों को इन विभागीय अधिकारियों द्वारा सात दिवस की अवधि में मंडल कार्यालय को मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावेगा।

II. सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आवेदन मृतक श्रमिक के आश्रित (माता/पिता/पत्नि/पति/नाबालिग पुत्र/पुत्री) द्वारा भी किया जा सकेगा।

III. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में आवेदन भेजने हेतु आवेदन के साथ सहायक श्रमायुक्त/जिला श्रम पदाधिकारी का अनुशंसा पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जिसमें श्रमिक में सिलिकोसिस होने की पुष्टि की गई हो संलग्न होंगे।

(घ) योजना हेतु व्यय :–

I. आर्थिक सहायताः–

योजना के अंतर्गत रूपये 3,00,000/– (रूपये तीन लाख मात्र) प्रदाय किया जावेगा, जिसमें से राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों के खाते में स्थानांतरित किया जावेगा तथा रूपये 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) एफ.डी. के रूप में देय होगा। एफ.डी. के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में **(मासिक आय योजना M.I.S.)** होगा। (श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी।)

II. पुनर्वास सहायताः–

सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक एवं उनके आश्रित परिवारजन को मंडल की अन्य सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जावेगा, बशर्ते वो उन योजनाओं की पात्रताओं को पूर्ण करते हों।

(ड.) आवेदन प्रकरणों का निराकरण :–

I. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार मंडल के नोडल अधिकारी को होगा।

उक्त अधिकारी आवेदन के 15 दिवसों के भीतर आवेदन का निपटारा करेंगे। यदि आवेदन तकनीकी तौर पर अस्वीकृत किया जाता है तो उसका कारण लिखित में आवेदक के पास भेजा जावेगा तथा आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में त्रुटि सुधार कर निरंतरता मे पुनः आवेदन किये जाने का आवेदक को अधिकार होगा।

(च) विसंगति का निराकरण :–

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(तीर्थ प्रसाद लड़िया)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

.....3.....

पृष्ठांकन क्र एफ 10–16/2017/16 नया रायपुर, दिनांक 16.1.18

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ.ग. शासन एवं पदेन अध्यक्ष, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग)।
4. नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ.ग.)।
5. कलेक्टर, जिला – ..... (छ.ग.)।
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रमपदाधिकारी, जिला–.....(छ.ग.)।
7. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग